बिहार सरकार,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग

591
07/08/2020

आदेश

राज्य सरकार के 7 निश्चयों में से एक "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के अधीन कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी थी। उक्त के आलोक में राज्य में विभिन्न केन्द्रों को कुशल युवा प्रोग्राम संचालित करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। कम्यूनिटी हेल्प लाईन, सुपौल कुशल युवा केन्द्र KYP Code03030023 के संबंध में जिला कौशल प्रबंधक से प्राप्त प्रतिवेदन जिसमें उल्लेख किया गया है कि केन्द्र बिना किसी सूचना के बंद है, केन्द्र पर उपलब्ध कुछ कंप्युटर क्रियाशील नहीं है। अनियमितता से संबंधित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत संस्था से संबंधित मामले में बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या–605 दिनांक–31.05.2019 के द्वारा संबंधित मामले में स्पष्टीकरण पूछा गया था। संस्था के द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब उपलब्ध नहीं कराये जाने के उपरांत संस्था को बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या–273 दिनांक–13.03.2020 के माध्यम से अंतिम रुप से स्मारित किया गया था। स्मार पत्र भेजे जाने के बावजूद संस्था के द्वारा अपना जवाब बिहार कौशल विकास मिशन को उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिससे स्वतः स्पष्ट है कि संस्था को स्पष्टीकरण में अंकित तथ्य स्वीकार्य है।

अतः समीक्षो उपरान्त कम्यूनिटी हेल्प लाईन, सुपौल कुशल युवा केन्द्र KYP Code03030023 के माह मई, 2019 बैच के Final Invoice से 30% के राशि की कटौती करते हुए अवरूद्ध किये गये अस्थायी नामांकन रोक को हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। मिशन प्रबंधक, वित्त एवं लेखा को आदेश दिया जाता है कि वे उक्त केन्द्र के मई, 2019 बैच के Final Invoice से 30% की राशि की कटौती करना सुनिश्चित करें।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(चन्द्रशेखर सिंह, भा०प्र०से०)
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन।

पटना, दिनांक 07/08/2020

ज्ञापांक–BSDM / SDM–18 / 2017(खण्ड–1)–. 591

प्रतिलिपि–
(1) कम्यूनिटी हेल्प लाईन, सुपौल कुशल युवा केन्द्र KYP Code03030023 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
(2) मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
(3) Project Director, MKCL/Project Director, E&Y को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
(4) मिशन प्रबंधक(वित्त एवं लेखा)/ मिशन प्रबंधक(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
(5) जिला कौशल प्रबंधक, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन।